66

विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान (Special Provisions Relating to Certain Classes)

विशेष प्रावधान का औचित्य

प्रस्तावना में उल्लिखित समानता और न्याय के उद्देश्य को हासिल करने के लिए संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और आंग्ल-भारतीयों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये विशेष प्रावधान संविधान के भाग XVI में धारा 330 से 342 में उल्लिखित हैं। ये प्रावधान निम्न बातों से संबंधित हैं:

1. विधायिकाओं में आरक्षण
2. विधायिकाओं में विशेष प्रतिनिधित्व
3. नौकरी एवं पदों में आरक्षण
4. शैक्षणिक अनुदान
5. राष्ट्रीय आयोग का गठन
6. जांच आयोग का गठन

इन विशेष प्रावधानों का वर्गीकरण मुख्य रूप से निम्न वर्गों में किया जा सकता है:

क. **स्थायी एवं अस्थायी:** इनमें से कुछ प्रावधान संविधान के स्थायी अंग हैं, जबकि कुछ एक खास समय तक के लिए काम करने वाले हैं।

ख. **संरक्षणात्मक एवं विकासमूलक:** इनमें से कुछ प्रावधानों का उद्देश्य इन वर्गों को सभी प्रकार के अन्याय एवं शोषण से बचाना है, जबकि कुछ प्रावधानों का उद्देश्य उनके सामाजिक-आर्थिक हितों को बढ़ाना है।

वर्गों का आधार

संविधान में इसका उल्लेख नहीं है कि किन जातियों या जातीय समूहों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कहा जाएगा। हर राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र में किन जातियों या जातीय समूहों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति माना जाएगा, संविधान ने यह तय करने का अधिकार राष्ट्रपति को दे रखा है। इस कारण हर राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की सूची अलग-अलग होती है। राज्यों के मामले में राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह-मशविरा कर अधिसूचना जारी करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना में किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को जोड़ने या हटाने का काम सिर्फ संसद कर सकती है। यह काम राष्ट्रपति द्वारा फिर से अधिसूचना जारी कर नहीं किया जा सकता। राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रपति ने कई अधिसूचनाएँ जारी की हैं और इन सूचियों में संसद द्वारा संशोधन भी किया गया है।[1]

इसी तरह संविधान ने पिछड़े वर्ग को भी चिन्हित नहीं किया है और न ही पिछड़े वर्ग में शामिल करने के लिए कोई समान मानदंड बनाया है।[2] पिछड़े वर्ग का मतलब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अलावा केंद्र सरकार द्वारा चिन्हित नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है । इस तरह पिछड़े वर्ग का मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति भी नागरिकों का पिछड़ा वर्ग ही है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों की तरह ही संविधान ने आंग्ल-भारतीय समुदाय के लोगों को परिभाषित किया है। इसके अनुसार आंग्ल भारतीय का मतलब ऐसे व्यक्ति से है जिसके पिता या उनका कोई भी पुरुष पूर्वज यूरोपीय वंश के थे लेकिन वे भारत में आकर बस गए और इस तरह स्थायी रूप से न कि अस्थायी तौर पर बसे लोगों ने जिन्हें जन्म दिया है।

विशेष प्रावधान के अंग

1. **विधायिकाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण तथा आंग्ल-भारतीयों को विशेष प्रतिनिधित्व:** आबादी के अनुपात में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए लोकसभा एवं राज्यों के विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण होगा।

   आंग्ल-भारतीय समुदाय के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में राष्ट्रपति इस समुदाय के दो सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। इसी तरह राज्य की विधानसभा में इस समुदाय के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संबंधित राज्य के राज्यपाल समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं।

   मूल रूप से आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व के ये दोनों प्रावधान सिर्फ दस वर्षों (यानी 1960 तक) के लिए किए गए थे। लेकिन उसके बाद इसकी अवधि लगातार हर बार दस-दस वर्षों के लिए बढ़ाई जाती रही हैं। 2009 के 95वें संशोधन के अनुसार यह दोनों प्रावधान अब 2020 तक लागू रहेंगे।[3]

   95वे वाँ संशोधन विधेयक, 2009 द्वारा आरक्षण तथा विशेष प्रतिनिधित्व के दो प्रावधानों के विस्तार के कारण निम्नवत् हैं[3a]:

   (i) संविधान की धारा 334 के अनुसार संविधान का प्रावधान, जिसमें अनुसूचित पातियों तथा जनजातियों के लिए लोकसभा में तथा राज्य विधान सभाओं में सीटों के आरक्षण तथा आंग्ल-भारतीय समुदाय के नामांकन द्वारा प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है, संविधान लागू होने के 60 साल बाद अप्रभावी हो जाएगा दूसरे शब्दों में 25 जनवरी, 2010 में से प्रावधान खारिज हो जाएँगे यदि इन्हें आगे नहीं बढ़ाया गया तो।

   (ii) हालांकि पिछले 60 वर्षों में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों ने काफी तरक्की की है, फिर भी जिन कारणों से संविधान सभा ने सीटों के आरक्षण तथा सीटों पर नामांकन का प्रावधान किया था, वे कारण अभी भी मौजूद हैं। अत: यह प्रस्तावित किया गया है कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को आरक्षण तथा आंग्ल-भारतीय समुदाय के सदस्यों को प्रतिनिधित्व के लिए नामांकन करना 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए।

   आंग्ल-भारतीयों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व का यह प्रावधान निम्न कारण से किया गया है, '' आंग्ल-भारतीय धार्मिक, सामाजिक और साथ ही साथ भाषायी रूप से अल्पसंख्यक समुदाय हैं। ऐसे में यह प्रावधान जरूरी था, वरना संख्या के हिसाब से एक बहुत ही छोटा समुदाय होने और पूरे भारत में छितराये रहने के कारण आंग्ल-भारतीय चुनावों के जरिए विधायिकाओं की एक सीट भी हासिल करने की उम्मीद नहीं कर सकते।[4]''

2. **नौकरी एवं पदों के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का दावा:** केंद्र और राज्य के सरकारी पदों पर बहाली करते वक्त प्रशासन की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल असर डाले बगैर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दावों पर विचार किया जाएगा। हालांकि 2000 के 82वें संशोधन अधिनियम में केंद्र या राज्यों के सरकारी पदों पर बहाली की किसी परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए न्यूनतम अंक कम करने या पदोन्नति में मूल्यांकन का मापदंड घटाने का प्रावधान है।

3. **आंग्ल-भारतीयों के लिए नौकरी में विशेष प्रावधान तथा शिक्षा अनुदान :** आजादी के पहले केंद्र की रेलवे,

तालिका 66.1 *विशिष्ट वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों से जुड़े अनुच्छेद, एक नजर में*

अनुच्छेद	विषय-वस्तु
330	लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण
331	लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व
332	राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण
333	राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व
334	सीटों के आरक्षण एवं विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था 70 साल बाद समाप्त हो जाना
335	नौकरी एवं पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का दावा
336	खास सेवाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए विशेष प्रावधान
337	आंग्ल भारतीय समुदाय के हित में शैक्षणिक अनुदान का विशेष प्रावधान
338	अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग
338।	अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग
339	अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर केंद्र का नियंत्रण एवं अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
340	पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति
341	अनुसूचित जातियां
342	अनुसूचित जनजातियां

आबकारी, डाक एवं तार सेवा के कुछ पद आंग्ल-भारतीयों के लिए आरक्षित थे। इसी तरह आंग्ल-भारतीयों के शिक्षण संस्थानों को केंद्र एवं राज्यों से विशेष अनुदान मिला करता था। संविधान के तहत इन सुविधाओं को क्रमिक रूप से कम करते हुए जारी रखा गया और अंततः 1960 में यह सुविधा समाप्त हो गयी।

4. **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोगः** अनुसूचित जाति के तमाम संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा की जांच के लिए राष्ट्रपति एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करेंगे और यह आयोग उनको अपनी रिपोर्ट देगा (धारा 338)। इसी तरह अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकारों से जुड़े तमाम मुद्दों की जांच के लिए राष्ट्रपति राष्ट्रीय आयोग का गठन करेंगे और आयोग उनको अपनी रिपोर्ट देगा (धारा 338 ए)। राष्ट्रपति इन सभी रिपोर्टों को इन पर की गई कार्रवाइयों की रिपोर्ट के साथ संसद के समक्ष रखेंगे । पहले संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक संयुक्त आयोग का प्रावधान था। 2003 के 89वें संशोधन के जरिए इस संयुक्त आयोग को दो स्वतंत्र निकायों के रूप में बांट दिया गया।[5]

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जाति के लिए जो काम करेगा वही काम वह अन्य पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल-भारतीयों के लिए भी करेगा। दूसरे शब्दों में, आयोग अन्य पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल-भारतीयों के संवैधानिक अधिकारों से जुड़े तमाम मुद्दों की जांच करेगा और अपनी जांच की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा।[6]

5. **अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन पर केंद्र का नियंत्रण एवं अनुसूचित जनजाति का कल्याणः** अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन एवं राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्ट देने के लिए राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। वे ऐसे आयोग का गठन किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन संविधान लागू होने के दस वर्षों के अंदर इस आयोग का गठन अनिवार्य रूप से हो जाना चाहिए। इस तरह 1960 में आयोग का गठन हुआ। यू.एन. ढेबर इसके अध्यक्ष बनाए गए और आयोग ने 1961 में अपनी रिपोर्ट दी। चार दशक बाद 2002 में दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में दूसरे आयोग का गठन हुआ। इसने अपनी रिपोर्ट 2004 में प्रस्तुत की।

   इसके अलावा, राज्य में अनुसूचित जनजाति के कल्याण से जुड़ी योजनाएं बनाने एवं उन्हें लागू कराने के लिए राज्यों को निर्देश देने का कार्यपालक अधिकार केंद्र के पास है।

6. **पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग की नियुक्तिः** सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े

वर्गों की स्थिति की जांच करने एवं उनकी स्थिति में सुधार के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों की अनुशंसा करने के लिए राष्ट्रपति आयोग का गठन कर सकते हैं। आयोग की रिपोर्ट उस पर की गई कार्रवाइयों की जानकारी के साथ संसद में रखी जाएगी।

उपरोक्त प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति ने अब तक दो आयोगों का गठन किया है। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित हुआ था। इसने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। लेकिन इसकी अनुशंसाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि आयोग की अनुशंसाओं को बहुत ही अस्पष्ट एवं अव्यावहारिक मान लिया गया था। इसके साथ ही पिछड़ेपन की अहर्ताओं को लेकर सदस्यों की राय भी बहुत ही अलग-अलग थी।

दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1979 में बी.पी. मंडल की अध्यक्षता में हुआ। इसने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसकी अनुशंसाओं पर भी 1990 में वी.पी.सिंह की सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा किए जाने के पहले तक कोई ध्यान नहीं दिया गया।[7]

संदर्भ सूची

1. ये संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 ; संविधान (अनुसूचित जाति) (केंद्र शासित क्षेत्र) आदेश, 1951; संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950; संविधान (अनुसूचित जनजाति) (केंद्र शासित क्षेत्र) आदेश, 1951इत्यादि हैं। संसद ने 1956, 1976 और बाद के वर्षों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (संशोधन) अधिनियम लाकर राष्ट्रपति के आदेशों में बदलाव किया।
2. संविधान की धारा 15 में 'सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, धारा 16 में 'नागरिकों का पिछड़ा वर्ग', धारा 46 में 'कमजोर लोगों का वर्ग', और फिर धारा 340 में 'सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग' का उल्लेख है।
3. 1959 के 8वें संशोधन के जरिए दस साल की अवधि 20 साल के लिए, 1969 के 23वें संशोधन के के जरिए 30 साल, 1980 के 45 वें संशोधन के जरिए 40 साल, 1989 के 62वें संशोधन के जरिए 50 साल,1999 के 79वें संशोधन के जरिए 60 साल, और 2009के 95वें संशोधन के जरिए 70 साल के लिए बढ़ायी गयी जो अभी 2020 तक लागू रहेगा। यह सूचना कानून एवं न्याय मंत्रालय (विधायन विभाग) की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है।
4. एम.पी.जैन, इंडियन कॉन्सटिट्यूशनल लॉ, वाधवा, चौथा संस्करण, पृष्ठ 756
5. इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए अध्याय 46 एवं 47 देखें।
6. 2003 के 89वें संशोधन के बाद भी धारा 338 का यह प्रावधान इस तरह वर्णित है, '' इस धारा में, उल्लेखित अनुसूचित जाति का मतलब संविधान की धारा 340 की उपधारा 1 के तहत नियुक्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा चिन्हित अन्य पिछड़े वर्ग तथा साथ ही आंग्ल-भारतीय समुदाय समेत होगा।''
7. इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए अध्याय 7 में 'मंडल आयोग और उसके बाद' देखें।